सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

की

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

पर

निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

2016 की प्रतिवेदन सं. 23

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

की

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

पर

निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

2016 की प्रतिवेदन सं. 23

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	**vii**
	कार्यकारी सारांश	**ix**
अध्याय-1	**प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना - एक विंहगावलोकन**	**1**
1.1	पृष्ठभूमि	1
1.2	कार्यक्रम के बारे में	1
1.3	निधिकरण का स्रोत	3
1.4	निधिकरण पैटर्न	3
1.5	संगठनात्मक व्यवस्था	3
1.6	अब तक की उपलब्धि	5
अध्याय-2	**लेखापरीक्षा दृष्टिकोण एवं वर्तमान लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संगठन**	**6**
2.1	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	6
2.1.1	लेखापरीक्षा उद्देश्य	6
2.1.2	लेखापरीक्षा क्रिया-विधि	6
2.1.3	लेखापरीक्षा मानदण्ड का स्रोत	7
2.1.4	निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं आवर्तन	7
2.1.5	लेखापरीक्षा सैम्पलिंग	7
2.2	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्ष	9
2.3	वर्तमान लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संगठन	15
2.4	आभार	15
अध्याय-3	**योजना**	**16**
3.1	प्रस्तावना	16
3.2	जिला ग्रामीण सड़क योजना	17
3.2.1	जिला ग्रामीण सड़क योजना में कमियां	17
3.3	कोर नेटवर्क	18
3.3.1	कोर नेटवर्क में कमी	19
3.3.2	सड़क लम्बाई में भिन्नता	21

3.3.3	कोर नेटवर्क की अस्वीकृति	21
3.3.4	स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गैर-भागीदारी	21
3.3.5	अस्वीकार्य सड़क परियोजनाओं का चयन	22
3.4	भौगोलिक सूचना प्रणाली का गैर-एकीकरण	22
3.5	व्यापक नई संयोजकता प्राथमिकता सूची/व्यापक सुधार प्राथमिकता सूची	23
3.6	वार्षिक प्रस्ताव	25
3.6.1	वार्षिक प्रस्ताव तैयार न किया जाना	25
3.6.2	जिला पंचायत तथा एसएलएससी द्वारा अस्वीकृति	26
3.6.3	निधि के आबंटन से अधिक निर्माण कार्य की स्वीकृति	26
3.6.4	कोर नेटवर्क से बाहर प्रारंभ किया गया निर्माण कार्य	28
	निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	28-29
अध्याय-4	**कार्यक्रम कार्यान्वयन**	**30**
4.1	प्रस्तावना	30
4.2	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	30
4.2.1	ट्रांजेक्ट वॉक का संगठित न किया जाना	30
4.2.2	छोड़े गये/परित्यक्त निर्माण-कार्य	32
4.3	निविदा की प्रक्रिया	35
4.3.1	गलत तकनीकी विवरण	35
4.3.2	निविदा आमंत्रण में अनियमितताएं	36
4.3.3	अनुबंध की सुपुर्दगी में अनियमितताएं	37
4.3.4	निर्माण-कार्यों को जारी करने/सौंपने में विलम्ब	39
4.4	निर्माण-कार्यों का निष्पादन	40
4.4.1	बीमा कवर का प्रावधान न होना	40
4.4.2	मोबिलाइजेशन एवं उपकरण अग्रिम का वसूल न होना	41
4.4.3	बैंक प्रत्याभूति का पुनर्वैधीकरण न होना	42
4.4.4	स्वीकृति तकनिकी विशिष्टता से विचलन	43

4.4.5	क्रॉस जल निकासी एवं पुलों का निर्माण न होना	44
4.4.6	स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग न होना	48
4.4.7	विभागीय स्तर पर सामग्री की आपूर्ति	49
4.4.8	निर्माण-कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब	50
4.4.9	परिसमापित क्षतियों का वसूल न होना	51
4.4.10	लागत वृद्धि के कारण अधिक व्यय	51
4.4.11	लक्षित बस्तियों को पूर्ण संयोजकता प्रदान किए बगैर निर्माण-कार्य पूर्ण दिखाए गए।	51
4.4.12	अधूरे निर्माण-कार्य	54
4.4.13	जमानत जमा एवं निष्पादन जमानत का पहले निर्गम	55
4.4.14	निर्माण-कार्यों के निष्पादन/बढ़ा कर मापे बगैर भुगतान	56
4.4.15	सड़क निर्माण कार्यों पर परिहार्य खर्च	59
4.4.16	बस्तियों की बहु संयोजकता	60
4.5	सड़कों का रख-रखाव	60
4.5.1	रख-रखाव अनुदान की उपयोगिता और निस्तारण	61
4.5.2	रख-रखाव अनुदान से विपथन	62
4.5.3	दोषपूर्ण दायित्व अवधि के दौरान सड़कों का रख-रखाव	62
4.5.4	आंचलिक रख-रखाव अनुबंध का अभाव	63
	निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	63-64
अध्याय-5	**निधि प्रबंधन**	**65**
5.1	प्रस्तावना	65
5.2	योजना अवधि के दौरान प्रगति	66
5.3	पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रगति	68
5.3.1	वित्तीय प्रगति	68
5.3.2	भौतिक प्रगति	69
5.4	वित्तीय रिपोर्टिंग का मेल न खाना	69
5.5	राज्यों को निधियों के निर्गम में कमियां	70
5.6	राज्य सरकारों द्वारा निधियों के अंतरण में विलंब	71

5.7	विशेष आबंटन के अंतर्गत निधि का जारी न किया जाना	72
5.8	ब्याज की हानि	72
5.9	अर्जित ब्याज पर आयकर की छूट का लाभ न उठाना	72
5.10	निधियों का विपथन	73
5.11	खातों में विसंगतियां	74
5.12	निधियों का अवरोधन	76
	निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	76
अध्याय-6	**गुणवत्ता नियंत्रण, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन**	**77**
6	गुणवत्ता नियंत्रण	77
6.1	प्रथम स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र	78
6.1.1	प्रथम स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में कमियां	78
6.1.2	गुणवत्ता रजिस्टरों का अनुरक्षण न करना/अनुपयुक्त अनुरक्षण	78
6.1.3	उपकरणों की खरीद न करना	79
6.2	द्वितीय स्तर गुणवत्ता नियंत्रण तन्त्र	80
6.2.1	एसक्यूएम द्वारा निरीक्षणों में कमी	80
6.2.2	एसक्यूएम द्वारा देखी गयी कमियां	81
6.2.3	एसक्यूएम के निष्पादन का मूल्यांकन	82
6.2.4	संयुक्त निरीक्षण न करना	82
6.3	तृतीय स्तर गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र	83
6.3.1	एनक्यूएम द्वारा देखी गयी कमियां	83
6.3.2	एटीआर के प्रस्तुति में विलंब	83
6.3.3	कार्रवाई रिपोर्ट का लम्बन	84
6.3.4	कार्रवाई रिपोर्टों में कमियां	87
6.3.5	निष्पादन मूल्यांकन समिति की बैठके न करना	87
6.4	राज्य स्तरीय स्थायी समिति	88
6.5	जिला स्तरीय सतर्कता तथा निगरानी समिति	88
6.6	शिकायत निवारण तंत्र	88

6.7	सामाजिक लेखापरीक्षा	89
	निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	90
अध्याय-7	**संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन**	**91**
7.1	प्रस्तावना	91
7.2	संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन के निष्कर्षों का सारांश	91
7.3	बस्तियों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने में अनियमितताएं	92
7.4	लक्षित बस्तियों को संयोजित न किया जाना	92
7.5	सड़क निर्माण-कार्यों का अपूर्ण/घटिया निर्माण	93
7.6	निर्माण-कार्यों के निष्पादन में कमियां	94
7.7	घटिया/गैर-अनुरक्षण के कारण क्षतिग्रस्त निर्माण कार्य	96
	निष्कर्ष	97
अध्याय-8	**ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनीटरिंग एवं एकाउंटिंग सिस्टम (ओम्मास)**	**98**
8.1	प्रस्तावना	98
8.2	पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्ष	100
8.3	वेबसाईट की जांच	100
8.4	राज्यों के मॉड्यूल का कार्यान्वयन न होना	101
8.5	ओम्मास डाटाबेस का धीमा अपडेशन	102
8.6	परिचालन नियंत्रणों की कमी	103
8.7	राज्यों में आईटी अवसंरचना	107
	निष्कर्ष एवं अनुशंसा	108
	अनुबंध	**109-195**
	परिभाषिक शब्दावली तथा संकेताक्षर	**197-202**